

कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग

-: निविदा सूचना :-

क्रमांक / /स्वा0वि0 /2016

दुर्ग, दिनांक


नगर पालिक निगम दुर्ग के एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना अंतर्गत सी0डी0एस0/महिला समूह/एन0जी0ओ0/ठेकेदार से निम्नानुसार वार्डों में शहर के वार्ड (Group-A) वार्ड क्रमांक 21, 22, 23, 24, 25 (Group-B) वार्ड क्रमांक 26, 27, 28, 29, 30 (Group-C) वार्ड क्रमांक 43, 44, 45, 46, 47 एवं (Group-D) वार्ड क्रमांक 48, 49, 50, 51, 52 जीरो वेस्ट योजना अंतर्गत नालियों, सड़को, मैदानों, सार्वजनिक तालाबों के आस-पास, सार्वजनिक शौचालयों, मुन्नालयों की सफाई तथा उत्पन्न कचरे का संग्रहण/परिवहन तथा डोर टू डोर कचरे का संग्रहण एवं पृथककरण कर प्रोसेसिंग कर खाद/बायोगैस तैयार कर विक्रय करने तथा शासन द्वारा निर्धारित दर पर युजर चार्ज वसूली का कार्य हेतु निविदा प्रपत्र www.municipalcorporationdurg.com से डाउन लोड किया जा सकता है । डाउन लोड किये गये निविदा प्रपत्र का मूल्य डी0डी0 संलग्न कराना अनिवार्य होगा । निविदा तीन लिफाफा पद्धति के साथ पृथक पृथक लिफाफे में संलग्न की जावेगी। प्रथम लिफाफे में फर्म, एन.जी.ओ./ठेकेदार/एस.एच.जी. का पंजीयन एवं बाईलाज/डी.डी./एफ.डी.आर., लायसेंस, ई.एम.डी. आदि होंगे । द्वितीय लिफाफा वित्तीय लिफाफा होगा जिसमें निर्धारित प्रारूप में दर भरकर देना होगा । दोनो लिफाफे एक लिफाफे में डालकर सील बंद कर आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग के पते पर स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड डॉक द्वारा भेजा जाना अनिवार्य होगा । हाथो हाथ कोई निविदा नही ली जावेगी । स्पीड पोस्ट से प्राप्त दिनांक 30/8/16 को सांय 05:30 बजे तक ही स्वीकार्य होगा। निविदा समय सीमा में प्राप्त नही होने पर मान्य नही किया जायेगा।

प्राप्त निविदाए उपस्थित निविदाकारों के समक्ष दिनांक 31/8/2016 को शाम 05:00 बजे तक अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा खोली जावेगी ।

ग्रुप	ग्रुप सम्मिलित वार्ड क्रमांक	अमानत राशि	निविदा प्रपत्र शुल्क	अनुमानित सेवा शुल्क वसूली	सूखे कचरे से अनुमानित आय
A	21, 22, 23, 24, 25	25,000.00	1000.00	2,50,000.00 प्रतिमाह	50,000.00 प्रतिमाह
B	26, 27, 28, 29, 30	25,000.00	1000.00	2,50,000.00 प्रतिमाह	50,000.00 प्रतिमाह
C	43, 44, 45, 46, 47	25,000.00	1000.00	2,50,000.00 प्रतिमाह	50,000.00 प्रतिमाह
D	48, 49, 50, 51, 52	25,000.00	1000.00	2,50,000.00 प्रतिमाह	50,000.00 प्रतिमाह

महिला समूह को अमानत राशि एवं बैंक गारंटी जमा करने से छूट रहेगी।

निविदा की नियम एवं शर्तें कार्यालय में उपस्थित होकर कार्यालयीन अवधि में अवलोकन किया जा सकता है।


आयुक्त,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

पृ०क०/ 296 /स्वा०वि०/2016

दुर्ग, दिनांक 12/07/2016

प्रतिलिपि: 4

1. माननीय महापौर महोदया, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सादर सूचनार्थ।
2. माननीय सभापति महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सादर सूचनार्थ।
3. प्रभाषी स्वास्थ्य एवं चिकित्सा समिति, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सादर सूचनार्थ।
4. जनसंपर्क अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग को प्रदेश स्तरीय समाचार पत्र के एक अंक में प्रकाशन हेतु।
5. प्रभाषी अधिकारी डाटा सेंटर नगर पालिक निगम, दुर्ग को निविदा सूचना वेबसाइट में डाउन लोड करने हेतु सूचनार्थ।
6. नगर पालिक निगम मुख्य कार्यालय के नोटिस बोर्ड में चरपा करने हेतु।


आयुक्त,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग(छ0ग0)

॥ शर्त ॥

(ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य जीरो वेस्ट योजना अंतर्गत वार्डों की सफाई कार्य ठेके के माध्यम से कराये जाने बाबत)

नगर पालिक निगम दुर्ग स्थित निम्नलिखित वार्ड (Group-A) वार्ड क्रमांक 21, 22, 23, 24, 25 (Group-B) वार्ड क्रमांक 26, 27, 28, 29, 30 (Group-C) वार्ड क्रमांक 43, 44, 45, 46, 47 एवं (Group-D) वार्ड क्रमांक 48, 49, 50, 51, 52 तक जीरो वेस्ट योजना अंतर्गत वार्डों में स्थित नालियों, सड़को, मैदानों, सार्वजनिक तालाबों के आस-पास, सार्वजनिक शौचालयों, मुत्रालयों की सफाई तथा उत्पन्न कचरे का संग्रहण/परिवहन तथा डोर टू डोर कचरे का संग्रहण एवं पृथककरण कर प्रोसेसिंग कर खाद तैयार कर विक्रय करने तथा शासन द्वारा निर्धारित दर पर यूजर चार्ज वसुली का कार्य हेतु स्थानीय सी0डी0एस0/महिला समूह/एन0जी0ओ0/ठेकेदार से तीन लिफाफा पद्धति से स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिनांक .. ३१/१२/१६ संख्या २३० बजे तक अभिव्यक्ति की रूचि आमंत्रित की जाती है । जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

उपरोक्त कार्यों के सफल संचालन हेतु निम्नानुसार दर आमंत्रित की जाती है :-

1. आहत निविदा अनुबंध तिथि से एक वर्ष तक) के लिए मान्य होगा कार्य की गुणवत्ता के आधार पर जिसे आगे 3 वर्षों तक बढ़ाया जा सकेगा। निविदा स्पीड पोस्ट के माध्यम से तथा तीन लिफाफा पद्धति से स्वीकार किये जायेंगे । निविदा में स्थानीय सी0डी0एस0/महिला समूह/एन0जी0ओ0/ठेकेदार भाग ले सकेंगे। उक्त कार्य के लिए दर, बंद लिफाफे में आमंत्रित किये जाते हैं । निविदाकार को निगम द्वारा किये गये स्वीकृत दर के आधार पर यूजर चार्ज प्रतिमाह वसूलना होगा। जिसका विवरण राजपत्र के प्रकाशित दर अनुसार होगा।
2. डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन कर कचरे का पृथक करण एजेंसी द्वारा किया जाएगा । प्लास्टिक, कपड़ा, कागज, कांच, लोटा आदि का विक्रय एजेंसी द्वारा किया जाएगा । Bio degradable को सड़ाकर खाद या बायो गैस बनाया जा सकेगा । इस हेतु स्थल निगम द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा । अन्य संसाधन एजेन्सी स्वयं तैयार करेगा । तैयार किए गए खाद बायो गैस से प्राप्त आय ठेकेदार की होगी। एवं प्रत्येक ग्रुप के लिए अलग अलग लिफाफा मे भर कर निविदा प्रस्तुत करना होगा।

निविदाकार को प्रत्येक ग्रुप हेतु पृथक- पृथक आमनती राशि 25,000/- एफ0डी0आर0/डी0डी0 के रूप में जमा करना होगा । निविदा स्वीकृति पश्चात 1.00 लाख रूपयें का बैंक गारंटी/एफ0डी0आर0/डी0डी0 भी प्रत्येक ग्रुप हेतु पृथक - पृथक प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। तथा प्रत्येक ग्रुप के लिए निविदा भी पृथक - पृथक प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।

महिला स्वसहायता समूह को अमानत राशि एवं सेक्यूरिटी जमा करने से छूट रहेगी।

3. असफल निविदाकारों को अमानत राशि प्रथम पक्ष द्वारा अनुबंध उपरांत ही प्रदाय की जा सकेगी।
4. भाग लेने वाले निविदाकार को श्रम नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
5. सफल निविदाकार को किसी भी प्रकार के श्रम संबंधी विवादों का निपटान स्वयं करना होगा। इस सम्बन्ध में नगर निगम पार्टी नहीं होगी।
6. रिक्शा/ई-रिक्शा/आटो उपलब्धता के आधार पर उपलब्ध कराई जावेगी। जो 250 घरो के लिए 1 रिक्शा अथवा 300 घरों पर 1 ई-रिक्शा/आटो उपलब्ध कराई जा सकेगी। जिसका मेंटेनेंस डीजल, ड्रायवर ठेकेदार द्वारा किया जावेगा। अनुपलब्धता की स्थिति में निविदाकार को स्वयं रिक्शे की व्यवस्था करनी होगी।
7. कचरा दो भाग में पृथक-पृथक एकत्रित करना होगा।

(अ) 500 वर्गफीट की जगह कचरा पृथककरण एवं प्रोसेसिंग हेतु उपलब्ध करायी जावेगी।

(ब) सड़ने योग्य कचरे को ठेकेदार द्वारा निर्धारित स्थल पर खाद निर्माण हेतु प्रक्रिया करना होगा।

(स) न सड़ने वाले कचरे अर्थात् पॉलीथीन, लोहा, टिन, कांच, बाटल आदि को पृथक करण कर अलग-अलग व्यवस्थित रखना होगा।

8. निविदाकार को नीचे दिए गए विकल्प "A" अथवा "B" में से एक को भरना होगा। दोनों विकल्प नहीं भरने हैं। दोनों विकल्प भरने पर निविदा निरस्त हो जाएगी।

(A) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना अन्तर्गत नालियों, सड़को, मैदानों, सार्वजनिक तालाबों के आस-पास, सार्वजनिक शौचालयों, मुत्रालयों की सफाई तथा उत्पन्न कचरे का संग्रहण/परिवहन तथा डोर टू डोर कचरे का संग्रहण एवं पृथककरण कर प्रोसेसिंग कर खाद तैयार कर विक्रय करने तथा शासन द्वारा निर्धारित दर पर युजर चार्ज वसुली का कार्य संबंधी शर्तों का पालन करते हुए नगर निगम दुर्ग को रूपयें प्रतिमाह दूंगा।

अथवा

(B) उक्त कार्य करने हेतु शर्तों का पालन करते हुए रूपयें नगर निगम दुर्ग से लुंगा।

उपरोक्तानुसार कार्यों का संपादन करते हुए राजपत्र में प्रकाशित दर के अनुसार सेवा शुल्क लिये जाने संबंधित सूची :-

S.NO.	CATEGORY	MONTHLY FEE
1	House Holds	20

